# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :–4488/2024**

धनराज

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा, जिला कोटा।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नयागांव, धुलेट, जिला कोटा।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 24.12.2024
**आदेश की दिनांक** : 13.01.2025

**उपस्थिति :–**
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमार सैनी, अभिभाषक

**समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष**
**अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड–तृतीय, लेवल–2 संस्कृत के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नयागांव, धुलेट, जिला कोटा में कार्यरत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, उमरदा ब्लॉक सिंगोद किया गया है, जो वर्तमान पदस्थापित स्थान से 100 किमी. से अधिक दूरी पर है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग है। ऐसे में अपीलार्थी को दूर पदस्थापन से विभिन्न परेशानियों का सामना करना पडेगा। अपीलार्थी ने इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 09.12.2024 को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिसका निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आज दिनांक तक नहीं किया गया।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को 40 प्रतिशत से अधिक स्थायी निशक्तता है। ऐसे में स्थानांतरण से अपीलार्थी को प्रथम दृष्टया असुविधा होना स्वाभाविक प्रकट होता है।
4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में सक्षम अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 09.12.2024 का निस्तारण आगामी 3 सप्ताह में आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक के लिए स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावें जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**

**(विकास सीतारामजी भाले)**
**अध्यक्ष**